लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 840
उत्तर देने की तारीखः 07.02.2017

जाति प्रमाण-पत्र जारी करना

840. डॉ. उदित राजः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित लोगों के पर्यावासों और उनकी संख्या की पहचान करने के लिए जाति की गणना पर आधारित 1950 के पुराने आदेश के स्थान पर भारत के माननीय राष्ट्रपति के आदेश को पुनः जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आदेश को कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा उन लोगों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने, जो 1950 के आवासीय अथवा राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क) और (ख) : वर्ष 1950 में जारी आदेशों के स्थान पर अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को नए सिरे से विनिर्दिष्ट करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेशों को जारी करने के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) : भारत संघ संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के तहत क्रमशः अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने के लिए नोडल एजेंसी है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करना तथा इसे सत्यापित करने का विषय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आता है। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं परंतु इस आशय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।